अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला-जोधपुर

व इजलास-मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

सोहनलाल वि. सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- 175 / 2024

-::आदेश ::- दिनाकं :- 14/10/24

प्रार्थी सोहनलाल पुत्र श्री सुखाराम जाति खारड़िया (सीरवी) निवासी बिलाड़ा-पक 3 तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् राजस्व रेकर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जॉच हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाड़ा से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाड़ा ने अवगत करवाया है कि ग्राम बिलाड़ा-पक 3 की जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 के खाता सं. 561 में दर्ज अशुद्ध नाम सोहनलाल पुत्र सुखाराम जाति खारड़िया (सीरवी) निवासी बिलाड़ा-पक 3 का शुद्ध नाम सोहनलाल पुत्र सुखाराम जाति पटेल (सीरवी) निवासी बिलाड़ा-पक 3 की राजस्व रेकर्ड मे शुद्धि किये जाने हेतु सहमत है। अतः जॉच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का दस्तावेज के अभाव में अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा